भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

सरकारी स्टॉक (जी एस) की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या 4(6)-डब्ल्यूएंडएम/2019: भारत सरकार एतद द्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी स्टॉक, की बिक्री **(निर्गम/पुनर्निर्गम)** अधिसूचित करती है।

	प्रतिभूति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्वता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की विधि	अधिसूचित राशि (करोड़ में)
6.17%	सरकारी प्रतिभूति 2021	15 जुलाई, 2019	02-00-00	15 जुलाई, 2021	मूल्य	विविध	2,000
7.27%	सरकारी प्रतिभूति 2026	08 अप्रैल, 2019	07-00-00	08 अप्रैल, 2026	मूल्य	विविध	2,000
नया	सरकारी स्टॉक, 2029	नया स्टॉक	10-00-00	07 अक्तूबर, 2029	लाभ	विविध	7,000
7.62%	सरकारी प्रतिभूति 2039	08 अप्रैल, 2019	20-05-07	15 सितम्बर, 2039	मूल्य	विविध	1,000
7.63%	सरकारी प्रतिभूति 2059	06 मई, 2019	40-01-11	17 जून, 2059	मूल्य	विविध	4,000

कुल अधिसूचित राशि के अध्यधीन 16,000 करोड़ रुपए की सीमा तक भारत सरकार, उपर्युक्त एक या अधिक प्रतिभूतियों के परिपेक्ष्य में प्रत्येक में 1,000 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त अभिदान का विकल्प बनाए रखेगी। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। इस स्टॉक की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या 4(2)-डब्ल्यूएण्डएम/2018, तारीख 27 मार्च 2018 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा **04 अक्तूबर, 2019** को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में **04 अक्तूबर, 2019** को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से मध्याह्न 12.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कब निर्गमित कारोबार

4. यह स्टॉक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट स्थित मुंबई कार्यालय में **04 अक्तूबर, 2019** को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान **07 अक्तूबर, 2019** अर्थात् **निर्गम/पुनर्निर्गम** की तारीख को किया जाएगा। स्टॉक के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित स्टॉक के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

ब्याज का भुगतान और स्टॉक का पुनर्भुगतान

6. मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से स्टॉक के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। स्टॉक का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

	प्रतिभूति का नाम	**कूपन दर (%)**	**अंतिम कूपन भुगतान की तारीख**	**किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है**	**कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)**
6.17%	सरकारी प्रतिभूति 2021	6.17	नया स्टॉक	06 अक्तूबर, 2019	15 जनवरी और 15 जुलाई
7.27%	सरकारी प्रतिभूति 2026	7.27	नया स्टॉक	06 अक्तूबर, 2019	08 अक्तूबर और 08 अप्रैल
नया	सरकारी स्टॉक, 2029	लाभ आधारित#	नया स्टॉक	नया स्टॉक	07 अप्रैल और 07 अक्तूबर
7.62%	सरकारी प्रतिभूति 2039	7.62	15 सितम्बर, 2019	06 अक्तूबर, 2019	15 मार्च और 15 सितम्बर
7.63%	सरकारी प्रतिभूति 2059	7.63	17 जून, 2019	06 अक्तूबर, 2019	17 दिसंबर और 17 जून

 # प्रतिभूति के लिए कूपन दर का निर्णय नीलामी में निर्धारित परिपक्वता दर की कटआफ लाभ पर किया जाएगा। ब्याज का भुगतान अर्द्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

30/9/19

(रजत कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार